अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखाओं से प्रकट हुए उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान (या गत वर्षों के, जिन्हें 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप दिया गया था) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी[1] को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, तथा उनके तहत विनियमन किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों के लिए उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिए।

---

[1] *कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश।*

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं राज्य के 25 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो[2] सांविधिक निगम व चार[3] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के नाम सहित उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में कार्यशील राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन[4] सरकारी कंपनियां हैं तथा एक[5] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर ऋण में सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी तक (30 सितम्बर 2022) अपना व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में 26 कार्यशील कम्पनियां हैं। 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां[6] व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियां में से एक[7] कंपनी निष्क्रिय है। ये विगत चार से 22 वर्षों से अकार्यशील हैं एवं इनमें पूंजीगत (₹ 17.75 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋण (₹ 60.15 करोड़) के रूप में ₹ 77.90 करोड़ का कुल निवेश है। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता। राज्य सरकार निष्क्रिय कंपनियों के समापन हेतु शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करें।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों

---

[2] *हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।*

[3] *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी)।*

[4] *हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

[5] *हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

[6] *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

[7] *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

के टर्नओवर व हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे **तालिका-5.1** में दिया गया है।

तालिका-5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य **के** सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल टर्नओवर	8,814.81	9,725.96	9,912.71	10,603.36	10,176.86
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर)	1,38,351	1,53,845	1,65,472	1,56,622	1,72,174
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य **के** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत	6.37	6.32	5.99	6.77	5.91

स्त्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के *नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।*

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर[8] का प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 6.37 *प्रतिशत* से वर्ष 2021-22 में 5.91 *प्रतिशत* तक घट गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 6,548.60 करोड़- 2020-21 का टर्नओवर), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 788.16 करोड़ - 2020-21 का टर्नओवर) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 1,359.11 करोड़ - 2018-19 का टर्नओवर) प्रमुख योगदानकर्ता थे।

5.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारित इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा दिया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण **तालिका-5.2** में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.2: 31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश[9] (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार का ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घावधि ऋण
विद्युत	3,973.00	2,246.37	12,133.29	7,602.37	16,106.29
वित्त	146.63	139.94	160.40	84.68	307.03
उद्योग एवं आधारभूत **ढांचा**	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं **संबद्ध**	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	1,095.20	1,079.00	24.56	0	1,119.76
योग	**5,347.15**	**3,587.98**	**12,393.27**	**7,761.67**	**17,740.42**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

[8] *टर्नओवर सम्बंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणियों पर आधारित।*

[9] *निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।*

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का मुख्य जोर विद्युत क्षेत्र पर रहा जिसने ₹ 17,740.42 करोड़ के कुल निवेश का 90.80 प्रतिशत (₹ 16,106.29 करोड़) प्राप्त किया। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी व ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट-5.2** में दर्शाया गया है।

5.4.2 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न रूपों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों हेतु बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे **तालिका-5.3** में दिया गया है:

तालिका-5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[10]	2019-20		2020-21		2021-22	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	7	335.89	7	263.25	7	272.12
दिया गया ऋण	2	571.26	2	268.83	2	258.72
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	9	691.15	9	983.68	10	885.32
कुल व्यय		**1,598.30**		**1,515.76**		**1,416.16**
ऋण चुकौती/ बट्टे खाते में डालना			2	4.18[11]	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण			-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटियां	7	673.60	8	491.44	8	455.84
गारंटी प्रतिबद्धता/बकाया	8	1,447.15	4	93.74	4	111.37

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 140.48 करोड़) एवं राज्य के विद्युत क्षेत्र के दो उद्यमों[12] (₹ 117.00 करोड़) में इक्विटी का निवेश किया। राज्य सरकार ने राज्य के एक विद्युत् क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश विद्युत् ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड: ₹ 258.14 करोड़) को ऋण उपलब्ध कराया। राज्य सरकार द्वारा

---

[10] *राशि राज्य के बजट से बाहर जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती है।*

[11] *₹ 1.93 करोड़ व ₹ 2.25 करोड़ ऋण का पुर्नभुगतान क्रमशः हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।*

[12] *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.00 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 67.00 करोड़)*

अनुदानों/सब्सिडी का बड़ा भाग हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 521.69 करोड़[13]), हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 101.00 करोड़) तथा शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 147.00 करोड़[14]) को उपलब्ध कराया गया।

5.4.3 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्ति के सापेक्ष कुल कर्ज/ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने की विधियों में से एक है कि क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (सॉल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण वाले राज्य **के** सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज अनुपात **तालिका-5.4** में दिया गया है।

तालिका-5.4: 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्ति	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति से दीर्घावधि ऋण अनुपात
		(₹ करोड़ में)		
सरकारी कंपनियां	11	23,226.48	11,576.30	2.00:1
सांविधिक निगम	2	1,219.74	141.49	8.62:1
योग	**13**	**24,446.22**	**11,717.79**	**2.09:1**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य उनके सकल ऋण/ कर्ज से अधिक था।

5.4.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी। यद्यपि 1976 से इसके शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं हुआ तथा यह सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कंपनी का बाजार पूंजीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक अन्य सरकारी कंपनी है। इसके ऋण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

---

[13] *हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली निःशुल्क/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।*

[14] *परिचालन एवं प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए।*

5.4.5 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम के विनिवेश/ पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की।

5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में से 10 कार्यशील उद्यमों ने 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पांच[15] उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे/लाभ व हानि लेखे नहीं बनाए थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

30 सितम्बर 2022 तक हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 13.18 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 3.36 करोड़) ने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ का योगदान किया। 2021-22 के दौरान राज्य के इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों ने ₹ 21.47 करोड़ के कुल लाभ के अधिकतम 77 *प्रतिशत* का योगदान किया। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की वित्तीय स्थिति का सारांश **परिशिष्ट-5.3** में दर्शाया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात नीचे **तालिका-5.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात
विद्युत्	-445.62	6,732.16	-6.62
विद्युत् के अतिरिक्त	21.97	3,444.70	-0.63
योग	**467.59**	**10,176.86**	**-4.6**

[15] *राज्य के वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्स्वारा की गई या राज्य के वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने लाभ व हानि के लेखे नहीं बनाए: i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड,(ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड iii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, iv) रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड एवं v) ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि सभी लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) को राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का 50 *प्रतिशत* की सीमा तक करेंगे। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों ने कुल ₹ 21.47 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया (निष्क्रिय उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड को छोड़कर) तथा जिनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः[16] उद्यमों से राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित करना अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो उद्यमों ने ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए उनके लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़[17] का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यम[18] राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने के योग्य नहीं थे।

5.6 ऋण अदायगी

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कम्पनी के उपार्जित लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चो से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही। 2019-20 से 2021-22

---

[16] *(i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, (v) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड एवं (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड।*

[17] *हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.49 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 1.54 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (₹ 0.12 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 0.27 करोड़)।*

[18] *हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।*

की अवधि के दौरान अधिकतम ब्याज वहन करने वाले राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों एवं सांविधिक निगमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका-5.6** में दिया गया है।

तालिका-5.6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2019-20			2020-21			2021-22		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम									
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	457.06	460.72	1.01	476.22	290.90	0.61	476.22	290.90	0.61
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.23	17.11	0.18	11.04	(-) 44.27	(-) 4.01	129.55	1.31	0.01
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.13	(-) 31.79	(-) 3.48	129.80	23.82	0.18	111.77	-20.29	(-) 0.18
सांविधिक निगम									
हिमाचल पथ परिवहन निगम	19.90	(-) 134.90	(-) 6.78	15.24	(-) 131.19	(-) 8.61	8.54	(-)31.69	(-)3.71
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम[19]	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम व सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

टिप्पणी: राज्य के विद्युत के अतिरिक्त क्षेत्र के उद्यमों (23) के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 11,777.94 करोड़ में से उनकी ऋण/ देयताएं मात्र ₹ 121.05 करोड़ थी।

राज्य के विद्युत् क्षेत्र के किसी भी उद्यम व सांविधिक निगम का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम उनके ब्याज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.6.2 राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को छोड़कर) के संबंध में राज्य

[19] *वर्ष 2018-22 के आंकड़े समान हैं क्योंकि 2018-19 के बाद राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया।*

सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 2,750.44 करोड़ की ब्याज देयता अर्जित हुई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के इन (सात) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी गई ऋण की नगण्य राशि के कारण राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विश्लेषण नहीं किया गया। राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के ऋण पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका-5.7** में दिया गया है:

तालिका-5.7: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	226.69	202.78	23.91
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,960.30	242.96	1,717.34
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	563.45	85.13	478.32
	योग	**2,750.44**	**530.87**	**2,219.57**

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,750.44 करोड़ का उत्पन्न ब्याज भुगतान हेतु लंबित था तथा जिसमें से ₹ 2,219.57 करोड़ का ब्याज एक वर्ष से अधिक के लिए देय था।

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी[20] से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की कुल नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका-5.8** में दिया गया है।

[20] *नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।*

तालिका-5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)
2019-20	342.93	9,678.45	3.54
2020-21	178.87	11,450.50	1.56
2021-22	285.50	12,598.20	2.27

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

वर्ष 2021-22 में नियोजित पूंजी में बढ़ती वृद्धि एवं ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन में कमी के कारण राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2019-20 के 3.54 प्रतिशत से 2.27 प्रतिशत घट गया। विद्युत क्षेत्र में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2020-21 के ₹ 4.58 करोड़ की तुलना में 2021-22 में ₹ 5.18 करोड़ रहा। इसी भांति राज्य के विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के 2020-21 ₹ 322.01 करोड़ की तुलना में 2021-22 में ₹ 203.64 करोड़ रहा।

5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या हो।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तिया बेच दी जाए एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 16.45 प्रतिशत था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल के विवरण नीचे **तालिका-5.9** में दिए गए हैं।

तालिका-5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2019-20	(-)280.23	856.81	-
2020-21	(-) 490.37	819.58	-
2021-22	(-) 477.92	782.91	-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कार्यशील 26 उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक थी, अतः इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2022 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः जहां कही भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2022 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया। वर्ष 1999-2000 से 2021-22 की अवधि हेतु ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति **परिशिष्ट-5.4** में इंगित की गई है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष[21] हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

तालिका-5.10: राज्य सरकार द्वारा किए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं वर्ष 1999-2000 से 2021-22 तक सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/ सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी-इ+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई÷(1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	-	-	-	-	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	-	-	-	-	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	-	-	-	120.67	974.23	9.09	1062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1062.78	306.29	-0.10	-	-	-	306.19	1368.97	9.19	1494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1494.78	405.27	-	-	-	-	405.27	1900.05	8.59	2063.27	163.21	-55.92	-
2010-11	2063.27	566.89	-	-	-	-	566.89	2630.16	7.78	2834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2834.78	124.99	9.50	-	-	645.85	-511.36	2323.42	7.80	2504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2504.65	303.72	5.00	-	-	-	308.72	2813.37	8.08	3040.69	227.32	-404.40	-
2013-14	3040.69	287.24	2.54	-	-	-	289.78	3330.47	7.71	3587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3587.25	339.20	-	-	-	550.00	-210.80	3376.45	7.91	3643.53	267.08	-455.69	-
2015-16	3643.53	217.31	14.54	-	-	-	231.85	3875.38	8.37	4199.75	324.37	-332.71	-

[21] *भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] *100*

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/ सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी-इ+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई÷(1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
2016-17	4199.75	250.82	10.07	-	-	-	260.89	4460.64	8.13	4823.29	362.65	-105.47	-
2017-18	4823.29	232.91	8.00	-	-	-	240.91	5064.20	8.41	5490.10	425.90	-123.81	-
2018-19	5490.10	312.85	10.00	-	-	-	322.85	5812.95	8.32	6296.58	483.64	-183.99	-
2019-20	6296.58	335.91	-	-	114.89	-	450.80	6747.38	7.97	7285.15	537.77	-270.79	-
2020-21	7285.15	263.25	-1.35	-	236.84	-	498.74	7783.89	7.59	8374.69	590.80	-480.93	-
2021-22	8374.69	272.12	-	-	153.33	-	425.45	8800.14	7.37	9448.71	648.57	-467.18	-
		4,767.70	**62.60**	**-**	**505.06**	**1,195.85**	**4,139.51**						

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

31 मार्च 2022 तक इन कंपनियों में राज्य सरकार का निवल निवेश ₹ 4,139.51 करोड़ रहा, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिवेश के ₹ 1,195.85 करोड़ के समायोजन (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 537.15 करोड़ एवं 2014-15 में ₹ 550.00 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 108.70 करोड़) के पश्चात् था। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 9,448.71 करोड़ था। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए वास्तविक प्रतिफल की दर (-) 4.94 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2000-01 के बाद से कंपनियों का कुल उपार्जन ऋणात्मक ही रहा, जो परिचायक है कि निवेशित निधि पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय ये कंपनियां पूंजी की लागत की वसूली करने में भी सक्षम नहीं थीं।

5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.8.1 हानि

31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विवरण **तालिका-5.11** में दिए गए हैं।

तालिका-5.11: 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हुई हानि

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष में हुई निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ[22]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम (क)				
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
2020-21	2	151.93	1,700.26	(-) 741.82
2021-22	2	45.73	1,740.49	(-) 718.27
सरकारी कंपनियां (ख)				
2019-20	7	156.22	436.91	1,804.39
2020-21	8	366.67	2,253.44	1,009.34
2021-22	10	452.82	2,511.28	1.072.39
कुल (क+ख)				
2019-20	9	316.52	1,990.75	1,129.61
2020-21	10	518.60	3,953.70	267.52
2021-22	12	498.55	4,251.77	354.12

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 498.55 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 40.23 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी क्रमशः ₹ 185.32 करोड़, ₹ 132.06 करोड़ एवं ₹ 128.24 करोड़ की हानि के भागीदार बने।

5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों में 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ ऋणात्मक था। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,920.12 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,847.69 करोड़ था। 31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यमों में ₹ 2,081.07 करोड़ की सरकारी इक्विटी निवेशित थी एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों में ₹ 3,219.98 के सरकारी ऋण बकाया थे।

[22] *नेट वर्थ का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी एवं मुक्त भंडार व अधिशेष का कुल योग कम (-) संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय तथा मुक्त भंडार का अर्थ है लाभ व शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार।*

पूंजी का क्षरण हो चुके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों में से दो[23] उद्यमों ने 30 सितम्बर तक 2022 के उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1.52 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जैसाकि **तालिका-5.11** में विवर्णित है।

तालिका-5.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों का विवरण जिनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ समाप्त हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर व लाभांश के पश्चात् निवल लाभ/हानि	संचित हानियां (-)	नेटवर्थ	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के ऋण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2020-21	807.23	-185.32	-1,705.92	-898.69	857.23	3,015.13
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2020-21	38.77	-1.66	-86.75	-47.98	31.20	60.09
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	11.71	0.98	-113.04	-101.33	11.71	0
4.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	99.57	-5.5	-166.56	-66.99	92.98	84.61
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2019-20	9.25	0.54	-13.43	-4.18	9.22	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2016-17	12.30	-2.43	-24.51	-12.21	14.30	0.00
7.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2020-21	922.65	-40.23	-1,573.93	-651.28	1047.68	0.00
8.	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	-0.04	-78.23	-60.51	16.75	60.15
9.	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	0.92	-0.01	-5.44	-4.52	0	0
सकल योग			**1,920.12**	**-233.67**	**-3,767.81**	**-1,847.69**	**2,081.07**	**3,219.98**

* *कॉलम 8 व 9 में दिए गए आंकड़े अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।*

5.9 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

5.9.1 वित्तीय बदलाव

2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्काम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत

[23] *हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड।*

बोर्ड लिमिटेड) से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854.00 करोड़) में से कुल ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत सब्याज ऋण के माध्यम से उपलब्ध से करवाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि को वर्ष 2020-21 के दौरान 75 *प्रतिशत* अनुदान तथा 25 *प्रतिशत* को इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। यद्यपि उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अभी तक अनुदान (₹ 2167.50 करोड़) व इक्विटी (₹ 723.00 करोड़) में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया (मार्च 2022)। डिस्कॉम ने फरवरी 2017 से मार्च 2021 की अवधि एवं अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि हेतु ₹ 912.00 करोड़ का ब्याज भुगतान किया, कुल ब्याज देयता ₹ 228.00 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 25.00 करोड़ को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समायोजित किया, इस प्रकार 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत दिए गए ऋण पर ₹ 203.00 करोड़ की बकाया ब्याज देयता थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7.49 *प्रतिशत* से 8.19 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया था। सब्याज ऋणों को परिवर्तित न करने का प्रभाव यह है कि वर्ष 2021-22 हेतु राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 1,114.76 करोड़) ₹ 1,052.74 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा।

5.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता हैं।

5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। अगस्त 2021 व जून 2022 के मध्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु उपर्युक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष की उक्त आम वार्षिक बैठक में विचार करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल है, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का प्रावधान भी करती है। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित है।

5.12.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कंपनियां (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में है, को छोड़कर 22 सरकारी कंपनियां व चार[24] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां) थीं। इनमें से एक[25] कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु लेखे एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 25 उद्यमों के वर्ष

[24] *हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।*

[25] *ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

2020-21 या पूर्ववर्ती वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितम्बर 2022[26] तक या इससे पूर्व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों[27] के 20[28] वार्षिक वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। 30 सितंबर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के 73 वार्षिक लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सरकारी कंपनियां: 22 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: चार) के सम्बन्ध में बकाया वार्षिक लेखाओं के विवरण नीचे **तालिका-5.12** में दिए गए हैं:

तालिका 5.12: 30 सितम्बर 2022 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं व बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	**सरकारी कम्पनियां**	**सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां**	**कुल**
31 मार्च 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	22	04	26
30 नवम्बर 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62
कंपनियों की संख्या, जिनके लेखे वर्ष 2021-22 हेतु बकाया हो गए थे	22	04	26
अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए बकाया लेखाओं की कुल संख्या	**78**	**10**	**88**
1 दिसंबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	16	04	**20**
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	11	04	**15**
30 सितम्बर 2022 को बकाया लेखाओं की संख्या	67	06	**73**
बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 सितम्बर 2022 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)**		
एक वर्ष	7 (7)	2(2)	9 (9)
दो वर्ष व तीन वर्ष	9(23)	2(4)	11 (27)
तीन वर्ष से अधिक	6(37)	-	6(37)
योग	**22 (67)**	**4 (6)**	**26 (73)**

30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम **परिशिष्ट-5.5** में दर्शाए गए हैं।

---

[26] *वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनियों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की तिथि 30 सितम्बर 2022 थी।*

[27] *सरकारी कंपनियां: 15 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: तीन।*

[28] *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड से: दो-दो एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 16 उद्यमों से: एक-एक।*

लेखाओं के अभाव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के प्रमुख के साथ बकाया लेखाओं के मामले को उठाया गया (सितंबर 2021)। यद्यपि, 30 सितम्बर 2022 तक अभी भी ऐसी छ: कंपनियां थीं जिनके लेखे तीन साल से अधिक समय से बकाया थे।

5.12.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[29] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संचालित की जाती है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। 30 सितम्बर 2022 तक इन दो सांविधिक निगमों के पांच लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम: चार एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा हेतु बकाया थे।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में वित्तीय विवरणी बनाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा

---

[29] *हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके; एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

5.13.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की होती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणी हो, तो उसे वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.14 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.14.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 18 कंपनियों[30] के 20 लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष के दौरान[31] कुल

[30] *सरकारी कंपनियां: 15 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: तीन।*

[31] *2014-15: एक; 2015-16: एक; 2017-18: दो; 2018-19: पांच; 2019-20: 11 व 2020-21: तीन।*

मिलाकर 18 कंपनियों के सभी 20 लेखाओं[32] की समीक्षा की, जो 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त किए गए/अन्तिम रूप दिए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

5.14.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देश पर उनकी वित्तीय विवरणियों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं पाया गया। यद्यपि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियां सांविधिक लेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त की गई थीं (अप्रैल 2022) तथापि निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने से उन्हें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निदेशक मंडल के अनुमोदन एवं तदोपरांत सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार करने हेतु वापस कर दिया गया (अप्रैल 2022)।

5.14.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2021-22 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 01 दिसंबर 2021 व 30 सितम्बर 2022 के मध्य संचालित वर्ष 2021-22 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.14.4 अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में, जैसाकि **परिशिष्ट-5.6** दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप लेखापरीक्षित लेखाओं में हुए मूल्यवर्धन (लाभप्रदता पर ₹ 189.67[33] करोड़ व परिसंपत्ति/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) को नीचे **चार्ट-5.1** में दर्शाया गया है:

---

[32] *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: दो-दो एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 16 उद्यम: एक-एक।*

[33] *अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} व न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।*

चार्ट 5.1- जनवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का विवरण

(₹ करोड़ में)

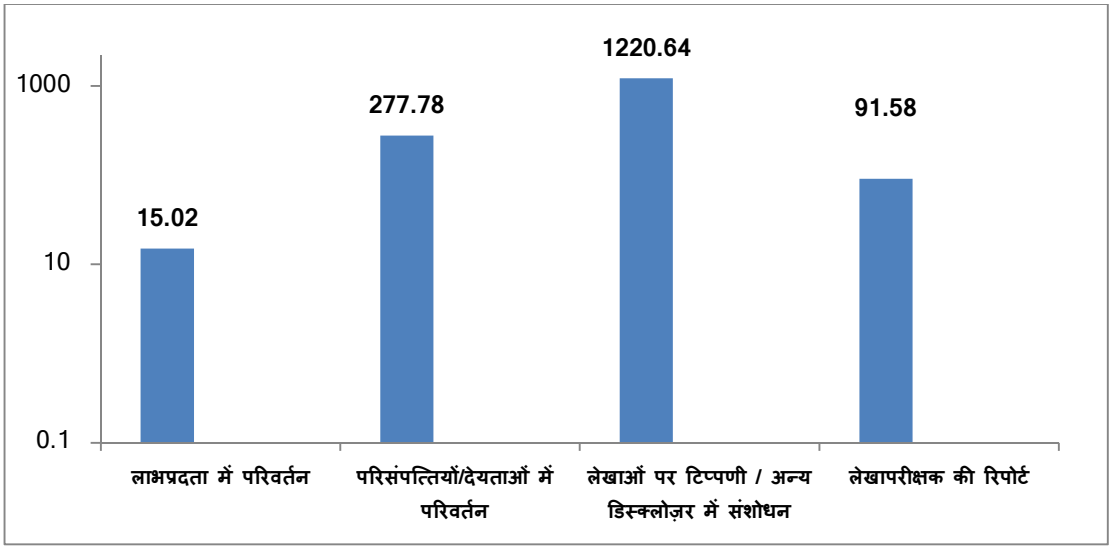

5.15 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 तक दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से तीन अकार्यशील उद्यम हैं। 30 सितंबर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 78 लेखे बकाया थे।

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानियां पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों को 30 सितंबर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई।

- राज्य सरकार की नीति के अनुपालन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों ने 30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया जबकि लाभ कमाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़ का लाभांश भुगतान/प्रदान नहीं किया।

5.16 सिफारिशें

- राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहते हैं।

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यम न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं एवं न ही अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने/पूर्ण करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार लाभांश नीति के निर्देशों की अनुपालना हेतु लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश घोषित/अदायगी करना सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया, घाटे के कारणों का विश्लेषण करें तथा उनके परिचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए प्रयास करें।

(चंदा मधुकर पंडित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 22 मार्च 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च 2023